

**पूर्वोत्तर रेलवे
अधिसूचना**

1. लखनऊ मंडल के कार्मिक विभाग में 35 प्रतिशत LDCE कोटे के अंतर्गत कर्मचारी कल्याण निरीक्षक लेवल-06 ग्रेड पे 4200/- को रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG)/2008/PM/15 दिनांक 03.09.2009 तथा दिनांक 07.06.2010 के अनुसार चयन प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाने हेतु लखनऊ मंडल के सभी विभागों से पात्र ग्रुप सी एवं ग्रुप डी कर्मचारियों (लेखा एवं RPF विभाग को छोड़कर) से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जाने का निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	पद	वेतन बैंड लेवल	कुल रिक्तियों की संख्या	समुदायवार रिक्तियों की संख्या			
1	कर्मचारी कल्याण निरीक्षक	9300-34800+4200 लेवल-6	03	सा०	अजा०	अजजा०	PWBD INCLUDING
				02	01	00	कुल 03 रिक्तियों में से 01 पद PWBD (DW, AAV) हेतु आरक्षित

PWBD की रिक्तियां नियमानुसार HORIZONTAL हैं।

2. पात्रता की शर्तें :-

- i) निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता रखने वाले समूह ग कर्मचारी चाहें उनका ग्रेड या सेवा अवधि या अन्य शैक्षणिक योग्यता कुछ भी हो। रेल सेवा में सेवा अवधि की गणना अधिसूचना जारी होने की तिथि तक (जो कि कट-ऑफ तिथि है) मान्य होगी।
 - श्रम कल्याण / समाज कल्याण में डिप्लोमा (भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से)
 - श्रम कानूनों में डिप्लोमा (भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से)
 - श्रम कानून पेपर /पेपरो सहित विधि स्नातक (भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से)
 - कार्मिक प्रबंधन में स्नाकोत्तर डिप्लोमा (भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से)
 - कार्मिक प्रबंधन के पेपरो सहित MBA डिग्री (भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से) (RBE 11 /2020 दिनांक 27.01.2020)
 - MBA -HR अथवा PG डिप्लोमा इन Human Resource Management (भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से)
- ii) बशर्ते कि लेवल-06 एवं उससे ऊपर के लेवल में कार्यरत नियमित कर्मचारी उपर्युक्त चयन में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है। इससे अलावा उपर्युक्त योग्यता रखने वाले कर्मचारियों की पात्रता भी इस शर्त के अधीन होगी कि उन्होंने सम्बन्धित ग्रेड / लेवल में परीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण की हो।
03. समूह घ, लेवल-1 के वे कर्मचारी जिन्होंने समूह घ में कम से कम 07 वर्ष कि नियमित सेवा पूर्ण की हो एवं वे उपर्युक्त 2(i) में उल्लिखित कोई योग्यता रखते हों।
04. कर्मचारी कल्याण निरीक्षक लेवल -06 से निचले लेवल अर्थात् लेवल -05 एवं लेवल-04 में कार्यरत 05 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी जिनकी पदोन्नति की सामान्य सीमा में उच्चतर लेवल नहीं आता है अन्यथा दोनों को मिलाकर 05 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी।
05. लेवल -05 एवं लेवल-04 में कार्यरत वे कर्मचारी जो स्नातक हो, भले ही इस ग्रेडों में उनका सेवा काल जितना भी हो बशर्ते कि सम्बन्धित कर्मचारी ने अपने सम्बन्धित लेवल में परीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण की हो।
06. वे कर्मचारी जो कर्मचारी कल्याण निरीक्षक लेवल -06 से निचले लेवल अर्थात् अन्य पे मैट्रिक्स लेवल -03 एवं लेवल -02 में कार्यरत हो तथा स्नातक हो एवं जिन्होंने अपने सम्बन्धित लेवल/ग्रेड में 07 वर्ष से अधिक कि सेवा पूर्ण कर ली हो, यदि उच्चतर लेवल उनकी पदोन्नति की सीमा में नहीं आता है अन्यथा इस दोनों ग्रेडों को मिलाकर 07 वर्ष की नियमित सेवा वाले कर्मचारी।

Signature

07. MACPS के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन पाए कर्मचारियों का ग्रेड पे /लेवल की गणना नहीं की जायेगी। मुख्यालय/अन्य मंडलों में लियन/दरीयता वाले कर्मचारी इस चयन हेतु पात्र नहीं हैं।

3. पाठ्यक्रम

उपयुक्त चयन हेतु पाठ्यक्रम संलग्न है।

4. चयन की प्रक्रिया :-

1. उपरोक्त चयन की लिखित परीक्षा रेलवे बोर्ड के RBE सं 05/2024 के अनुसार CBT/टेबलेट आधारित परीक्षा (टीबीटी) के माध्यम से सम्पन्न करायी जाएगी, जिसमें कोई भौतिक प्रश्नपत्र नहीं होगा। सभी प्रश्न कंप्यूटर / टेबलेट पर बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और कर्मचारी को प्रश्न के उत्तर कंप्यूटर / टेबलेट पर ही अंकित करने होंगे।
2. रेलवे बोर्ड के RBE सं 196 /2018 के माध्यम से प्रचारित पत्र के अनुसार ऑन लाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में 100 % वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। कुल अंकों में 10 % प्रश्न राजभाषा नीति और नियमों (जो वैकल्पिक होंगे) से होंगे।
3. लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे।
4. रेलवे बोर्ड के पत्र सं (एन.जी.)-2003 /सीएफपी/2 दिनांक 22.09.2003 के अनुसार चयन लिखित परीक्षा एवं सेवा रिकॉर्ड के आधार पर होगा, जिसमें 85 अंक लिखित परीक्षा एवं 15 अंक सेवा अभिलेख से लिया जायेगा। प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले 100 अंक को 85 अंक में परिवर्तित किया जायेगा। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG)/2008/PM7/4 SLP दिनांक 19.06.2006 के अनुसार चयन का आधार मेरिट के अनुसार होगा।
5. IREM का कोई प्रावधान या रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर कैडर पद पर चयन कर नियम और अन्य शर्तों के सम्बन्ध में हालाँकि इस अधिसूचना में अन्तर्जाने में छोड़े गये हैं उन्हें वेध और सक्रिय माना जाना चाहिए।
6. लिखित परीक्षा के अर्हक अंक 60 % हैं। SC -ST के कर्मचारी मौजूदा नियमों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों में 10 % छूट के पात्र हैं। उक्त चयन में Best Amongst the failure scheme लागू नहीं है।
7. RBE सं 196/2018 एवं महाप्रबंधक / कार्मिक गोरखपुर के पत्र सं का/254 /चयन / प्रश्न बैंक /निर्देश/4/80 दिनांक 20.03.2019 के अनुसार लिखित परीक्षा में 100 अंकों का बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ 120 मिनट का प्रश्न पत्र होगा। कुल 110 प्रश्न होंगे, जिसमें से 10 प्रश्न राजभाषा से होंगे जो वैकल्पिक होंगे तथा अभ्यर्थियों को कुल 110 प्रश्नों में से किन्हीं 100 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंकों की कटौती की जाएगी। उपरोक्त चयन की कोई अनुपस्थिति परीक्षा नहीं होगी।
8. कुल रिक्तियों की संख्या के बराबर सफल अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर नामिका तैयार की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को मंडल में कार्मिक विभाग के अधीन किसी भी स्टेशन पर पदस्थापित किया जा सकता है।
9. अधूरे एवं जुटीपूर्ण तथा सम्बन्धित नियंत्रक राजपत्रित अधिकारी से बिना अग्रसारित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. कर्मचारी इसे लिखित परीक्षा की तैयारी हेतु नोटिस समझे। परीक्षा कभी भी अल्प समय की सूचना पर संपन्न करायी जा सकती है।

5. कर्मचारियों को सूचित करना :-

1. सभी इच्छुक एवं पात्र कर्मचारी अपनी शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करके नियत तिथि या उससे पूर्व आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
2. नियंत्रक अधिकारी / पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थ उपरोक्त पात्रता वाले कर्मचारियों को इस अधिसूचना को नोट कराना एवं इसका व्यापक प्रचार - प्रसार कराना सुनिश्चित करें। आवेदन पत्र अपने नियंत्रक अधिकारी / पर्यवेक्षक को जमा करने की अंतिम तिथि 12.01.2026 होगी। नियंत्रक अधिकारी / पर्यवेक्षक द्वारा आवेदन पत्र को कार्मिक विभाग को भेजने की अंतिम तिथि 15.01.2026 होगी।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी कृपया जो कर्मचारी प्रतिनिधित्व /प्रशिक्षण अथवा अवकाश पर हों या ड्यूटी से बाहर गये हों अथवा सिक पर हों उन्हें विशेष सन्देश वाहक के माध्यम से सूचना भिजवाई जाय तथा उनसे इस अधिसूचना को नोट कराया जाय। इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार - प्रसार किया जाय।

6/1/24/24

4. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी कृपया सभी पात्र कर्मचारियों की पात्रता की जांच करते हुए आवेदन पत्र को समय सीमा के भीतर इस कार्यालय को अग्रसारित करें ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. इस अधिसूचना में अंकित तथ्यों (contents) तथा रेलवे बोर्ड एवं मुख्यालय के तत्संबंधित निर्देशों एवं परिपत्रों के बीच किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने की स्थिति में मुख्यालय एवं रेलवे बोर्ड के परिपत्र/दिशानिर्देश मान्य होंगे एवं तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
6. किसी भी अद्यतन के लिए नियमित रूप से मंडल की वेबसाइट का अवलोकन करें :-

<https://ner.indianrailways.gov.in>

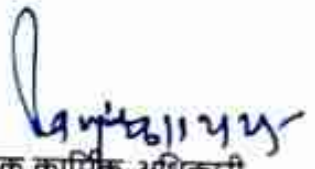
7. आवेदन अमान्य होने की शर्तें :-

- A. निर्धारित प्रारूप में आवेदन न होना।
- B. बिना हस्ताक्षर तथा बिना सत्यापित फोटो वाला आवेदन।
- C. वैध अनुलग्नकों के बिना आवेदन एवं आवेदन में दी गई जानकारी और संलग्न दस्तावेजों में भ्रष्टता।
- D. आवेदन पत्र में कोई भी कटिंग, ओवर राइटिंग एवं कॉलम खाली छोड़ना।
- E. आवेदन में तथ्यों को छिपाना या गलत जानकारी देना।
- F. कोई भी अनियमितता।
- G. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन।

प्राधिकार :- **Computer No: 113621**

संलग्नक :- आवेदन का प्रोफोर्मा एवं पाठ्यक्रम।

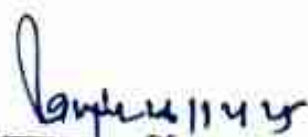
उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।


सहायक कार्मिक अधिकारी
लखनऊ
दिनांक - 26.12.2025

सं - **File No: NER-LJN0PER/24/2024-O/o Sr DPO/LJN/NER**

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) महाप्रबंधक /कार्मिक गोरखपुर को सादर सूचनार्थ
- 2) सभी शाखाधिकारी लखनऊ मंडल
- 3) सहायि-I & II & IV लज, विधि अधिकारी लज
- 4) सभी ककनि/मुककनि लज
- 5) मुकाय्याधि/सभी विभाग लखनऊ मंडल
- 6) सम्बन्धित कर्मचारी
- 7) मुकाय्याधि/गोपनीय अनुभाग लज-कृपया इस अधिसूचना को मंडल की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
- 8) M0M0/NERMC/एससी-एसटी एसो लज


कृते मंडल रेल प्रबन्धक (कार्मिक)
लखनऊ

**पूर्वोत्तर रेलवे
आवेदन का प्रारूप**

लखनऊ मंडल के विभिन्न विभागों में कार्यरत ग्रुप सी एवं ग्रुप डी कर्मचारियों (जिनका लियन /वरीयता इस मंडल में है, लेखा /RPF विभाग को छोड़कर) कार्मिक विभाग में 35 प्रतिशत LDCE कोटे के अंतर्गत कर्मचारी कल्याण निरीक्षक लेवल-06 ग्रेड पे 4200/- के पद पर चयन के माध्यम से भरने हेतु आवेदन पत्र (Computer No: 113621) :-

आवेदक की
नवीनतम पासपोर्ट
साइज़ फोटो
नियंत्रक अधिकारी
द्वारा सत्यापित/मुहर
सहित

1. नाम (सर्व श्री /श्रीमती/कुमारी)
2. पिता/पति का नाम
3. समुदाय /जाति का नाम
- (सामान्य /अजा, अजजा, प्रमाण पत्र संलग्न)
4. जन्म-तिथि (प्रमाण पत्र संलग्न)
5. प्रारम्भिक नियुक्ति -तिथि, पद व लेवल
6. वर्तमान पद व लेवल
7. वर्तमान पद पर नियमित पदोन्नति तिथि
8. वर्तमान पद पर सेवा अवधि
9. विभाग एवं पदस्थाना स्थल
10. भविष्य निधि संख्या
11. HRMS ID
- (पे स्लिप संलग्न)
12. शैक्षणिक योग्यता
- (प्रमाण पत्र संलग्न)
13. स्थान जहाँ लियन / वरीयता का रख-रखाव है
14. अन्य विवरण यदि है तो
15. मोबाइल सं
16. ई-मेल आईडी
17. PWBD हॉ अथवा नहीं
- यदि हॉ तो विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न)
18. दिनांक-26.12.2025 को कुल नियमित रेल सेवा अवधि

ग्रेड पे-1800 में नियुक्ति /पदोन्नति तिथि	ग्रेड पे-1900 में नियुक्ति /पदोन्नति तिथि	ग्रेड पे-2000 में नियुक्ति /पदोन्नति तिथि	ग्रेड पे-2400 में नियुक्ति /पदोन्नति तिथि	ग्रेड पे-2800 में नियुक्ति /पदोन्नति तिथि

मैं प्रमाणित करता हूँ कि /करती हूँ कि उपरोक्त दी गयी सूचना / जानकारी सत्य है। यदि इसमें कोई असत्यता पायी जाती है तो मेरे आवेदन को निरस्त कर दिया जाये।

प्रार्थी

नाम -
पदनाम -
कार्यालय -
दिनांक -

नियंत्रक अधिकारी द्वारा अप्रसारित
(अधिकारी का मुहर)

सम्बन्धित आवेदक के सेवा अभिलेख से मिलान के पश्चात सभी जानकारी/सूचना सही पायी गयी है :- कैडर लिपिक /मुकाय्या/कैडर

अग्र-आप

1505985/2025/O/SYLLABUS FOR THE POST OF STAFF & WELFARE INSPECTOR IN PAY MATRIX
LEVEL 6 (GP. Rs.4200/-)- 50% Quota & 35% Quota

Question paper will be consisting of 110 Questions, each carrying 1 mark and the examination will be of 120 minutes duration. Out of 110 Questions, 10 Questions will be on Official Language Policy and Official Language Rules. While the employees are encouraged to attempt the Questions on Official Language Policy and Official Language Rules, these Questions will not be compulsory. Hence, a candidate should attend any 100 Questions. The Questions will be of objective type with multiple choices and are likely to include questions pertaining to:

I	ORGANISATION SET UP OF RAILWAYS
1	Present status of Railway as a Transport organization and social responsibilities evolving trends.
2	Organisation of Railways, various units, department. Role of Personnel Department vis-à-vis other Branches.
3	Manpower Planning, Benchmarking, Training.
4	Establishment Manual, Codes, Pension Manual, Training Manual, Provisions and Rules, Policy circulars, Schedule of Powers with respect to establishment matters.
5	Important registers & forms in office and at stations/depots, Files & their maintenance, Single File System & its advantages, Dak System, registration.
6	Computerisation of Personnel Dept., I PASS, HRMS, E-office, UMID
7	Budget, Parliamentary questions, VIP/CA iii reference, MP/MR reference.
II	ROLES AND DUTIES OF S&WIs.
1	Grievance handling machinery on Railways.
III	ESTABLISHMENT RULES
1	Seniority Rules and Reservation Rule applicability.
2	Promotion by selection & non-selection, suitability tests, trade tests, refusal of promotion and its effects.
3	Pay fixation on promotion/in ex-cadre/under Pay Commission, stepping up of Pay, regular and supplementary bills.
4	Increments, special increments.
5	Allowance particularly HRA, Transport Allowance, TA & DA, Composite Transfer Grant, dual charge and officiating allowance, honorarium, Running Allowance.
6	Advance from PF and other Advances / Loans.
7	Service matters - joining time, change in date of birth,
8	Recruitment and Retirement benefits.
9	Medical decategorisation and alternative employment.
10	Maintenance of service records and leave accounts, leave rule.
11	Pass rules, pass accounts.
12	Conduct Rules, Discipline and Appeal Rules.
IV	CASUAL LABOUR / SUBSTITUTES / ACT APPRENTICES.
1	Casual labour and substitutes - their engagement, rules and procedure
2	Screening of casual labour and substitutes.
3	Temporary status, benefits to casual labour/substitutes.
4	Training of Apprentices under Apprentices Acts.
V	LABOUR LAWS
1	Labour laws on Contract Labour.
2	Employees 's Compensation Act.
3	Payment of Wages Act.
4	Minimum Wages Act
5	I.D. Act.
6	Railway Servants (Hours of Work and Period or Rest) Rules, Job Analysis.
7	Meetings with LEO & Labour Commissioner, Labour Court, Industrial Tribunal cases.
8	CAT Act.

	9	Trade Union Act.
	10	Right to Information Act.
VI	INDUSTRIAL RELATIONS	
	1	Trade Unions - PNM.
	2	PREM
	3	ZRUCC
	4	Facilities to recognized unions.
	5	Policy regarding unrecognized Unions, Worker's participation in Management.
VII	WELFARE ACTIVITIES.	
	1	SBF - Constitution, rules allocation of funds, meeting, Budget.
	2	Railway Institutes and Clubs - Constitution and activities.
	3	Recruitment against Scouts/Cultural/Sports quota/Appointment on compassionate ground.
	4	Scouts and Guides activities.
	5	Provision for handicapped.
	6	Co-operative Societies, Canteens - Statutory & non-statutory, amenities, Policy.
	7	Awards to staff, Relief Funds.
	8	Holiday Homes, Holiday Camps and their organization
	9	Sports and Cultural activities.
	10	Works Programme Proposals - Staff quarters and Staff Amenities.
	11	Medical facilities to Railway employees, RELHS.
VIII	EDUCATION AND TRAINING	
	1	Railway Schools - Types, Organization policy.
	2	Subsidies, Reimbursement of fees.
	3	Scholarships.
	4	Training Manual and Training Institutions.
IX	RESERVATION.	
	1	Facilities for SC, ST, OBC etc.
	2	Reservation Rules.
	3	Maintenance of Reservation Roster.

Note-1: Questions set in the paper will be normally to assess the understanding of the candidates w.r.t. various topics as above .

Note-2 : 10% of the total marks will be from Official Language Policy, Act and rules which will be optional.

1505985/2025/O/o SPO/HQ/HQ/NER

स्टाफ और कल्याण निरीक्षक (लेवल-6) ग्रेड पे-4200/- के पद के लिए पाठ्यक्रम 50% कोटा और 35% कोटा

प्रश्न पत्र में 110 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और परीक्षा 120 मिनट की अवधि की होगी। 110 प्रश्नों में से 10 प्रश्न राजभाषा नीति और राजभाषा नियमों पर आधारित होंगे। यद्यपि कर्मचारियों को राजभाषा नीति और राजभाषा नियमों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन ये प्रश्न अनिवार्य नहीं होंगे। इस लिए, उम्मीदवार को किन्हीं 100 प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और बहुविकल्पीय होंगे और इनमें निम्नलिखित से सम्बन्धित प्रश्न शामिल होने की सम्भवना है:-

(क)	रेलवे का संगठन
1	एक परिवहन संगठन के रूप में रेलवे की वर्तमान स्थिति और समाजिक उत्तरदायित्वों के उभरते रुझान ।
2	रेलवे का संगठन, विभिन्न इकाइयों, विभाग, कार्मिक विभाग की अन्य शाखाओं की तुलना में भूमिका ।
3	जनशक्ति नियोजन, बेचमार्किंग, प्रशिक्षण ।
4	स्थापना नियमावली, संहिताएँ, पेंशन नियमावली, प्रशिक्षण नियमावली, प्रावधान और नियम, नीति परिपत्र स्थापना मामलों के सम्बन्ध में शक्तियों की अनुसूची ।
5	कार्यालय और स्टेशनों/डिपो में महत्वपूर्ण रजिस्टर और प्रपत्र, फाइलें और उनका रख रखाव, एकल फाइल प्रणाली और इसके लाभ, डाक प्रणाली और इसके लाभ ।
6	कार्मिक विभाग का कम्प्यूटीकरण, आई पास, एचआरएमएस, ई-ऑफिस, उम्मीद ।
7	बजट, संसदीय प्रश्न, वीआई/सीए-।।। संन्दर्भ, एमपी/एमएलएल संन्दर्भ ।
(ख)	एस एण्ड डब्लू आई की भूमिकाएं और कर्तव्य
1	रेलवे में शिकायत निवारण तंत्र ।
(ग)	स्थापना नियम
1	वरिष्ठता नियम और आरक्षण नियम की प्रयोज्यता ।
2	चयन और अचयन द्वारा पदोन्नति, उपयुक्तता परीक्षण, ट्रेड टेस्ट, पदोन्नति और इनकार और उसके प्रभाव ।
3	पदोन्नति पर वेतन निर्धारण/संवर्ग-वाह्य/वेतन में वृद्धि, नियमित और अनुपूरक बिल ।
4	वेतन वृद्धि, विशेष वेतन वृद्धि ।
5	भत्ते विशेष रूप से मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता, संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान, दोहरा प्रभार और स्थापना भत्ता, मानदेय, रनिंग भत्ता ।
6	भविष्य निधि और अन्य अग्रिम/ऋण से अग्रिम ।
7	सेवा सम्बन्धी मामले- कार्यभार ग्रहण समय, जन्मतिथि में परिवर्तन ।
8	भर्ती और सेवा निवृत्ति लाभ ।
9	चिकित्सा विवर्गीकरण और वैकल्पिक रोजगार ।
10	सेवा अभिलेख और अवकाश लेखाओं का रखरखाव, अवकाश नियम ।
11	पास नियम, पास एकाउन्ट का लेखा-जोखा ।
12	आचरण नियम, अनुशासन और अपील नियम ।
(घ)	आकस्मिक श्रमिक/स्थानापन्न/कार्य प्रशिक्षु (एक्ट अप्रेंटिस)
1	आकस्मिक श्रमिक और स्थानापन्न-उनकी नियुक्ति, नियम और प्रक्रिया ।
2	आकस्मिक श्रमिकों और स्थानापन्नों की जाँच ।
3	अस्थायी स्थिति, आकस्मिक श्रमिकों/स्थानापन्नों को लाभ ।
4	प्रशिक्षु अधिनियमों के अन्तर्गत प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण ।
(ङ)	श्रम कानून
1	ठेका श्रमिकों पर श्रम कानून ।
2	कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम ।
3	मजदूरी भुगतान अधिनियम ।
4	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ।
5	पहचान पत्र अधिनियम ।
6	रेलवे कर्मचारी (कार्य के घण्टे और विश्राम अवधि) नियम, कार्य विश्लेषण ।
7	श्रम आयुक्त और श्रम आयुक्त के साथ बैठके, श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकारण के मामलों ।
8	कैंट अधिनियम ।
9	ट्रेड अधिनियम ।
10	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 ।

(च) औद्योगिक सम्बन्ध	
1	ट्रेड यूनियन-पी.एन.एम.।
2	प्रेम ।
3	जेड आर.यू.सी.सी.
4	मान्यता प्राप्त यूनियनों को सुविधाएँ।
5	गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों के सम्बन्ध में नीति, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।
(छ) कल्याणकारी गतिविधियाँ	
1	एसबीएफ-संविधान, नियम, धन आवंटन, बैठक, बजट।
2	रेलवे संस्थान और क्लब- संविधान और गतिविधियाँ।
3	स्काउट/सांस्कृतिक/खेल कोटा के अन्तर्गत भर्ती/अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।
4	स्काउट और गाइड गतिविधियाँ।
5	विकलांगों के लिए प्रावधान।
6	सहकारी समितियाँ, कैंटीन-वैधानिक और गैर-वैधानिक, सुविधाएँ, नीति।
7	कर्मचारियों को पुरस्कार, राहत कोष।
8	अवकाश गृह, अवकाश शिविर और उनका आयोजन।
9	खेल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ।
10	कार्य कार्यक्रम प्रस्ताव-कर्मचारी आवास और कर्मचारी सुविधाएँ।
11	रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएँ, आर.ई.एल.एच.एस.।
(ज) शिक्षण एवं प्रशिक्षण	
1	रेलवे स्कूल-प्रकार, संगठन नीति।
2	सब्सिडी, शुल्क प्रतिपूर्ति।
3	छात्रवृत्तियाँ।
4	प्रशिक्षण मैनुअल और प्रशिक्षण संस्थान।
(झ) आरक्षण	
1	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए सुविधाएँ।
2	आरक्षण नियम।
3	आरक्षण रोलर का रख-रखाव।

- नोट :- 1) प्रश्नपत्र में पूछे गए प्रश्न सामान्तः उपरोक्त विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की समझ का आकलन करने के लिए होंगे।
- 2) कुल अंकों का 10% अंक राजभाषा नीति, अधिनियम और नियमों से होगा, जो वैकल्पिक होगा।
